न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 75/24

रेवंतराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
वादी

बनाम

1. चूकी पत्नि फूसाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. जगदीश पुत्र फूसाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. तेजाराम पुत्र फूसाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. भैराराम पुत्र फूसाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. धनाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. हेमाराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
7. फूलादेवी पत्नि स्व. मोजीराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. राकेश पुत्र मोजीराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
9. नाबालिग विकास पुत्र मोजीराम आयु 17 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका अपनी माता फूलादेवी पत्नि स्व. मोजीराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
10. नाबालिग कंचन पुत्री मोजीराम आयु 15 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका अपनी माता फूलादेवी पत्नि स्व. मोजीराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
11. प्रेमाराम पुत्र मनसुखाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
12. हनुमानाराम पुत्र धुडाराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
13. उप पंजीयक बीदासर जिला चूरू
14. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. आमीन शेख एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,5,7,8,9

–: निर्णय :–

दिनांक:– 30-1-25

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 371 तीन सौ इकहतर तादादी 4.7803 चार दशमलव सात आठ जीरो तीन हेक्टेयर, खसरा संख्या 863 आठ सौ तरेसठ

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

तादादी 7.6890 सात दशमलव छः आठ नौ जीरो हेक्टेयर कुल किता 2 दो कुल रकबा 12.4693 बारह दशमलव चार छः नौ तीन हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में संयुक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें वादी का 31/560 इकतीस बट्टा पांच सौ साठ हिस्सा है। जिसे आगे इसमें वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादी की 31/560 इकतीस बट्टा पांच सौ साठ हिस्सा भूमि खसरा संख्या 371 तीन सौ इकहतर तादादी 4.7803 चार दशमलव सात आठ जीरो तीन हेक्टेयर में दक्षिणी साईड की भूमि है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह वादगत खेतों को अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। सभी का अलग–अलग कब्जा, काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह का खान–पान, रहन–सहन सब अलग–अलग है। वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां उठानी पड रही है। इस कारण वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में सें अपनी हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 10.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेगें तथा किसी भूमाफियों को विकय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगें, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विकय, हस्तांतरण, रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटें आदि स्वंय पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दो माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह द्वारा वादी

उपखण्ड अधिकारी

को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 12 बारह की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,5,7,8,9 की ओर से जवाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 6,10 ता 13 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिकी करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सांडवा खसरा संख्या 371, 863 तादादी कमशः 4.7803, 7.6890 हेक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी की 31/560 हिस्सा भूमि है जो खसरा संख्या 371 में दक्षिणी साईड में हिस्सा पांति में आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से वादी की हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30-1-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
रेंवतराम बनाम चुकीदेवी आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा नं:- 75/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सांडवा खसरा संख्या 371, 863 तादादी कमशः 4.7803, 7.6890 हेक्टेयर भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी की 31/560 हिस्सा भूमि है जो खसरा संख्या 371 में दक्षिणी साईड में हिस्सा पांति में आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से वादी की हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/1/25

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी बीदासर (नागौर)

मुहर

ओहदा .....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (नागौर)